an>

Title: Need to restore the land to the original land-owners after extracting Oil and Gas by the O.N.G.C..

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र् मेहसाना जिले में ओएनजीसी द्वारा गैस एवं तेल निकालने के लिए किसानों की जमीन अधिगृहीत की जाती है इसमें किसानों की कुछ जमीन का अधिगृहण स्थायी रूप से होता है परन्तु तेल एवं गैस हमेशा नहीं निकलता है। अतः किसी जमीन पर से जब गैस एवं तेल निकाल लिया जाये तो उस जमीन को उसी किसान को वापिस कर देना चाहिए जिससे वह अपनेपरिवार का गुजारा कर सके। अभी ओएनजीसी गैसे एवं तेल निकालने के बाद जमीन को वैसे ही पड़ा रहने देती है जिससे जमीन का उपयोग नहीं हो पाता है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि जिस किसान की जमीन से गैस एवं तेल निकाला जाये उन किसानों को शेयर होल्डर का दर्जा भी दे क्योंकि जिन नियमों से जो किराया और मुआवजा दिया जाता है वह काफी कम होता है जो किसानों के लिए ठीक नहीं है। साथ ही किराया और मुआवजा जो दिया जाये उसमें समानता होनी चाहिए क्योंकि स्वयं लेने, डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से लेने एवं न्यायालय के माध्यम से लेने में काफी असमानता होती है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिन किसानों की जमीन से ओएनजीसी गैसे निकाल चुका है उनको उन्हीं किसानों को वह जमीन वापिस करे जिनसे वह अधिगृहीत की गई थी।